**प्रेस नोट**

**दिनांक 09.02.2026**

**थाना मुस्करा पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार।**

पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 09.02.2026 को थाना मुस्करा पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 35/2026 धारा 110/115(2)/352/351(3) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त साकिर अली पुत्र सादिक अली को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 450/- रुपये के साथ नवोदय विद्यालय की तरफ जाने वाली रोड कस्बा व थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 36/2026 धारा 03/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

दिनांक 07.02.2026 को मुकदमा वादी त्रिवेणी पत्नी वृन्दावन राजपूत निवासी ग्राम बसवारी, थाना मुस्करा, जनपद हमीरपुर के पुत्र अजय राजपूत के साथ अभियुक्त उपरोक्त द्वारा गाली-गलौज करते हुए लकड़ी के मोटे चैले से मारपीट की गई, जिससे अजय राजपूत बेहोश हो गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 35/2026 धारा 110/115(2)/352/351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रकरण में आवश्यक विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-**

साकिर अली पुत्र सादिक अली निवासी मुहल्ला भैरवगंज थाना चरखारी जनपद महोबा (उम्र करीब 25 वर्ष )।

**बरामदगी का विवरण-**

एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा 450/- रुपये

**पुलिस टीम का विवरण-**

उ0नि0 स्वदेश कुमार
हे0का0 कमलेश कुमार यादव
का0 रोहित कुमार
का0 नीरज राजपूत